

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

15/02
2021

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक फूलमती माई सावैयाँ, पिता/पति- स्व० सोमा सावैयाँ, ग्राम- गितिलपी, थाना-मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-गितिलपी, थाना नं0- 580, खाता न0- 77, प्लॉट न0- 1120, रकवा- 0.05 एकड़, भूमि क्रेता संतोष गगाराई, पिता/पति- गुरुचरण गगाराई, ग्राम- बारीजल, थाना- मुफ्फसिल, के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वयं के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं० 73(M)/2014-15 द्वारा नामान्तरण होकर है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 185,दिनांक 12.02.2021 के द्वारा प्राप्त है। जागेन हेतु भू-खण्ड को क्रेता संतोष गगाराई, पिता/पति- गुरुचरण गगाराई, ग्राम-बारीजल, थाना-मुफ्फसिल,के पास 2,50,000.00/- (दो लाख पचास हजार रूपये) मात्र में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।


उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी 2.60 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता फूलमती माई सावैयाँ, पिता/पति- स्व० सोमा सावैयाँ, ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना नं0-580 खाता न0-77, प्लॉट न0- 1120, रकवा- 0.05 एकड़, भूमि को क्रेता संतोष गगाराई, पिता/पति- गुरुचरण गगाराई, ग्राम- बारीजल, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।